



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27122023-250915
CG-DL-E-27122023-250915

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5231]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 27, 2023/पौष 6, 1945

No. 5231]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 27, 2023/PAUSHA 6, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5462(अ).—मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) (जिसे इसमें इसके पश्चात् एमएलजेके-एमए के रूप में निर्दिष्ट किया गया है), जिसकी अध्यक्षता मसरत आलम भट करता है, अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है;

और, एमएलजेके-एमए का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर को भारत से स्वतंत्र करना है ताकि जम्मू और कश्मीर का पाकिस्तान में विलय हो सके और जम्मू-कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित हो सके;

और, एमएलजेके-एमए के सदस्य जम्मू और कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों में सम्मिलित रहे हैं;

और, एमएलजेके-एमए के नेता और सदस्य आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर निरंतर पथराव सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान और उसके प्रांक्सी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से धन जुटाने में सम्मिलित रहे हैं;

और, एमएलजेके-एमए और उसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश की संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सरासर अनादर दिखाते हैं;

और, एमएलजेके-एमए और इसके नेता और सदस्य, विशेष रूप से इसके अध्यक्ष मसरत आलम भट, विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं, जो देश की अखंडता, संप्रभुता, सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए हानिकारक हैं;

और, प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ एमएलजेके-एमए के संबंध दिखाने वाले कई इनपुट थे ;

और, एमएलजेके-एमए और उसके सदस्य देश में आतंक का शासन स्थापित करने के इरादे से आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करने में सम्मिलित रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को खतरे में डाला गया है, और इसके राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप, राज्य की सांविधानिक सत्ता और संप्रभुता के प्रति अनादर और अवज्ञा को भी दर्शाते हैं, इसलिए संगठन के विरुद्ध तत्काल और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि यदि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया या उसे नियंत्रित नहीं किया गया, तो वह इस अवसर को निम्नलिखित हेतु प्रयोग करेगी -

- (i) राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को जारी रखने, जो देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा एवं संप्रभुता के लिए हानिकारक हैं;
- (ii) भारत संघ में जम्मू-कश्मीर के अधिमिलन पर विवाद करते हुए इसको भारत संघ से पृथक करने का समर्थन जारी रखने;
- (iii) भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू-कश्मीर की जनता के बीच मिथ्या कथन और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने;

और, उपर्युक्त कारणों से केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम 'घोषित करना आवश्यक है;

अब, इसीलिए, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करती है।

और, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार का यह दृढ़ मत है कि मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर (मसरत आलम गुट) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगम' घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, केंद्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए गए किसी आदेश के अध्याधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14017/17/2023-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2023

S.O. 5462(E).—Whereas, the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction) (hereinafter referred to as the MLJK-MA), chaired by Masarat Alam Bhat is known for its anti-India and pro-Pakistan propaganda;

And, whereas, the objectives of MLJK-MA are to get freedom of Jammu and Kashmir from India so as to realize the merger of Jammu and Kashmir with Pakistan and establish Islamic rule in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the members of the MLJK-MA have been indulging in the secessionist activities in the Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of the MLJK-MA have been involved in raising funds through various sources including Pakistan and its proxy organisations for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the MLJK-MA and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And, whereas, the MLJK-MA and its leaders and members, particularly its Chairman Masarat Alam Bhat, have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, security and communal harmony of the country;

And, whereas, there had been a number of inputs showing linkages of the MLJK-MA with banned terrorist organisations;

And, whereas, the MLJK-MA and its members have been involved in supporting terrorist activities with an intent to create a reign of terror in the country, thereby endangering the security and public order of the State, and its anti-national activities also show disrespect and disregard to the constitutional authority and sovereignty of the State, hence an immediate and prompt action is required against the organisation;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction), it will use this opportunity to –

- (i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;
- (ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and
- (iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction), it is necessary to declare the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction) as an ‘unlawful association’ with immediate effect;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Muslim League Jammu Kashmir (Masarat Alam faction) as an ‘unlawful association’ with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/17/2023-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.